



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या - 22948 वर्ष 2019

ललित पुंडीर एवं 2 अन्य

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	:	संजय मिश्रा
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

ए.एफ.आर

28.11.2025 को सुरक्षित

28.1.2025 को सुनाया गया

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदकों द्वारा वाद अपराध संख्या 1717 वर्ष 2017, राज्य बनाम ललित पुंडीर, धारा 406, 504, 506 भा.दं.सं., थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ की समस्त कार्यवाही, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में आरोपपत्र दिनांक 23.08.2018 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 13.12.2018 के अनुसरण में लंबित है, को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. विपक्षी संख्या 2- योगेन्द्र सिंह सूचनाकर्ता हैं, जिन्होंने दिनांक 15.10.2017 को थाना-क्वार्सी, जनपद- अलीगढ़ में आवेदकगण के विरुद्ध धारा 406, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोपों के अनुसार, सूचनाकर्ता का यह आरोप है कि सूचनाकर्ता ने आवेदक संख्या 1- ललित पुंडीर के साथ 15,00,000/- रुपये में एक भूखण्ड के विक्रय हेतु अनुबन्ध किया था, जिसमें से दिनांक 1.8.2012 को सूचनाकर्ता के बड़े भाई, अर्थात् ओशवीर सिंह के खाते से 3,10,000/- रुपये की धनराशि आवेदक संख्या 1 को चेक द्वारा अदा की गई तथा 6,90,000/- रुपये की अतिरिक्त धनराशि नकद अदा की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह भी सहमति हुई थी कि शेष धनराशि विक्रय विलेख के निष्पादन के समय अदा की जाएगी। वर्ष 2013 में नकद धनराशि देवेन्द्र कुमार एवं लव कुश के समक्ष दी गई थी। आवेदक संख्या 2- राजेश जयपुर चला गया और उसके पश्चात सूचनाकर्ता ने आवेदक संख्या 1 तथा आवेदक संख्या 3 से विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए कहा। तथापि, उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा इस आधार पर विक्रय विलेख के निष्पादन में विलम्ब किया जाता रहा कि जब आवेदक संख्या 2 जयपुर से आ जाएगा, तब वे विक्रय विलेख निष्पादित कर देंगे। दिनांक 23.7.2013 को आवेदकगण द्वारा सूचनाकर्ता को 49,000/- रुपये की धनराशि चेक द्वारा अदा की गई। जनवरी, 2014 में जब सूचनाकर्ता ने आवेदकगण से विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए कहा, तब आवेदकगण ने कहा कि वही 4-6 माह के भीतर निष्पादित कर दिया जाएगा। दिनांक 31.7.2017 को उन्होंने विक्रय विलेख निष्पादित करने का वचन दिया। उक्त तिथि को जब सूचनाकर्ता आवेदकगण के घर गया, तब आवेदकगण ने रजिस्ट्री कार्यालय आने के लिए कहा और जब सूचनाकर्ता रजिस्ट्री कार्यालय पहुँचा तथा आवेदकगण की प्रतीक्षा सायं 7.00 बजे तक करता रहा, तब सूचनाकर्ता आवेदकगण के घर गया और पूछा कि विक्रय विलेख क्यों निष्पादित नहीं किया गया, तो आवेदकगण गाली-गलौज करने लगे तथा यह धमकी दी कि यदि सूचनाकर्ता आवेदकगण के घर आएगा, तो वे सूचनाकर्ता के साथ मारपीट करेंगे। आवेदकगण न तो धनराशि वापस कर रहे हैं और न ही विक्रय विलेख निष्पादित कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में सूचनाकर्ता का बयान विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है। विवेचना अधिकारी द्वारा साक्षी देवेन्द्र कुमार का भी बयान दर्ज किया गया, जिसने कहा कि 15,00,000/- रुपये में सौदा तय हुआ था, जिसमें से 3,10,000/- रुपये चेक द्वारा तथा 6,90,000/- रुपये नकद दिए गए थे और विक्रय विलेख के निष्पादन के समय 5,00,000/- रुपये अदा किया जाना अपेक्षित था। आवेदकगण द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा साक्षी लव कुश का बयान भी अभिलिखित किया गया, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। इसके बाद, विवेचना अधिकारी ने आवेदकगण के विरुद्ध धारा 406, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत दिनांक 23.8.2018 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया। उक्त आरोपपत्र के अनुसरण में धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



406, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत दिनांक 13.10.2018 को संज्ञान आदेश जारी किया गया।

5. इस न्यायालय ने दिनांक 24.6.2019 को विपक्षी संख्या 2- सूचनाकर्ता को नोटिस जारी किया था तथा कार्यालय की दिनांक 27.9.2023 की आख्या के अनुसार यह सूचित किया गया कि नोटिस विपक्षी संख्या 2 पर तामील हो गया है। दिनांक 2.1.2024 को विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 12.11.2025 के आदेश द्वारा विपक्षी संख्या 2 की अनुपस्थिति के कारण, यह वाद विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसर किया गया।

6. अभियोजन का मामला यह है कि पक्षकारों के मध्य 15,00,000/- रुपये में एक भूखण्ड के विक्रय का सौदा तय हुआ था। उक्त धनराशि में से 3,10,000/- रुपये चेक द्वारा तथा 6,90,000/- रुपये नकद सूचनाकर्ता द्वारा आवेदकगण को अदा किए गए थे। शेष विक्रय प्रतिफल की 5,00,000/- रुपये की धनराशि विक्रय विलेख के निष्पादन के समय अदा की जानी थी। सूचनाकर्ता का आरोप है कि उसके द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद आवेदकगण द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

7. आवेदकगण को धारा 406, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत तलब किया गया है।

8. धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक विश्वास भंग के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान है। आपराधिक विश्वास भंग का अपराध धारा 405 भा.दं.सं. के अंतर्गत परिकल्पित किया गया है, जो निम्नवत् उद्धृत है :

“405. आपराधिक विश्वासघात - जो कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति के साथ या संपत्ति पर किसी प्रभुत्व के साथ प्रतिष्ठित किया गया होकर, उस संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग में परिवर्तित या हड़प लेता है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या किसी विधि के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उस ट्रस्ट को छुटकारा देने के तरीके के विपरीत निपटान करता है, या उस ट्रस्ट को छुटकारा देने के संबंध में जिसका उसने स्पष्ट या अंतर्निहित कोई विधिक अनुबंध किया है उसके विपरीत निपटान करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह "आपराधिक विश्वासघात" करता है।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. जहाँ तक आपराधिक विश्वास भंग के अपराध का संबंध है, इसके आवश्यक तत्व यह हैं कि अभियुक्त को कोई संपत्ति सौंपी गई हो, या उस संपत्ति पर उसका नियंत्रण हो; और वह बेईमानी से उस संपत्ति का गबन कर ले या उसे अपने निजी उपयोग में ले आए; अथवा वह कानून के किसी ऐसे निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें यह बताया गया हो कि उस विश्वास का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है, या किसी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, उस संपत्ति का गबन कर ले या उसे अपने उपयोग में ले आए।

10. वर्तमान मामले में, यह सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 का मामला है कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 के बीच केवल संपत्ति की बिक्री का एक समझौता तय किया गया था और कुछ राशि अग्रिम में दी गई थी। बिक्री का समझौता संपत्ति के हस्तांतरण के पक्ष में आवेदकों को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता। यह भी सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 का स्वीकारा हुआ मामला है कि न तो विवादित संपत्ति आरोपी व्यक्तियों को सौंपी गई थी या आरोपी व्यक्तियों को संपत्ति पर कोई प्रभुत्व दिया गया था। यह भी सूचनाकर्ता का आरोप नहीं है कि उपर्युक्त सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोजन किया गया अथवा उसे अपने उपयोग में परिवर्तित कर लिया गया। सम्पत्ति के क्रय हेतु अग्रिम धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित एक साधारण लेन-देन को आपराधिक अपराध का स्वरूप दे दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, जिसने विक्रय के किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत अग्रिम धनराशि प्राप्त की हो, तत्पश्चात् विक्रय विलेख निष्पादित करने में असफल रहता है, तो उसका उपचार दीवानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निहित है।

11. यह उल्लेखनीय है कि सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 का यह आरोप नहीं है कि आवेदकगण ने विक्रय अनुबन्ध के प्रारम्भिक चरण में किसी भी प्रकार से उसे गुमराह किया था।

12. उच्चतम न्यायालय ने राधेश्याम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2311 के वाद में यह धारित किया है कि विक्रय अनुबन्ध का मात्र अनुपालन न किया जाना अपने आप में आपराधिक विश्वास भंग का अपराध नहीं बनता है। सुसंगत अनुच्छेद निम्नवत् उद्धृत है:-

“6. जैसा कि ऊपर पहले ही बताया जा चुका है, उस शिकायत को पढ़ने पर, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया गया है, उसमें धोखाधड़ी या विश्वास भंग का कोई भी तत्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या आधार नजर नहीं आता। केवल 'बिक्री के समझौते' का पालन न करना अपने आप में धोखाधड़ी या विश्वास भंग नहीं माना जाता। प्रतिवादी संख्या 2 के पास अनुबंध के 'विशिष्ट पालन' की राहत के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का पर्याप्त उपाय उपलब्ध है, जिसका लाभ वह पहले ही उठा चुका है और वह मुकदमा अभी भी लंबित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल अपीलार्थियों पर विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए दबाव डालने अथवा धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से दबाव बनाने के एक साधन के रूप में प्रतीत होती है। प्रत्येक दीवानी अपकृत्य को आपराधिक अपकृत्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा कि वर्तमान प्रकरण में परिलक्षित होता है, विपक्षी संख्या 2 गुप्त उद्देश्य से आपराधिक प्रक्रिया तंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है। उसका यह मामला नहीं है कि अपीलार्थियों ने उसे अग्रिम धनराशि अदा करने के लिए छलपूर्वक प्रेरित किया था और विक्रय अनुबंध किया था। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करने में त्रुटि की कि भा.दं.सं. की धारा 420 तथा 406 के अपराधों के अवयव विद्यमान हैं।”

11. धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है:

- i. अभियुक्त को संपत्ति सौंपी गई थी, अथवा उसे संपत्ति पर आधिपत्य सौंपा गया था;
- ii. अभियुक्त ने उस संपत्ति का बेईमानीपूर्वक दुरुपयोग किया था अथवा उसे अपने उपयोग में परिवर्तित कर लिया था, अथवा उस संपत्ति का बेईमानीपूर्वक उपयोग किया था या उसका निस्तारण किया था, अथवा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने दिया था; और
- iii. इस प्रकार का दुरुपयोग, परिवर्तन, उपयोग या निपटान, कानून के किसी ऐसे निर्देश का उल्लंघन होना चाहिए जो यह निर्धारित करता हो कि ऐसे न्यास का निर्वहन किस रीति से किया जाना है; अथवा यह किसी ऐसे कानूनी अनुबंध का उल्लंघन होना चाहिए जो उस व्यक्ति ने, ऐसे न्यास के निर्वहन के संबंध में, किया हो।

12. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता द्वारा कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई थी। पक्षकारों के बीच विक्रय अनुबंध के संबंध में केवल आंशिक भुगतान ही किया गया था। प्रतिफल के रूप में अदा की गई राशि को यह नहीं कहा जा सकता कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ताओं को सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त, केवल इस कारण कि अपीलकर्ता विक्रय का पंजीकरण कराने से इंकार कर रहे हैं, इसे अग्रिम भुगतान की हेराफेरी नहीं माना जा सकता। चूंकि संपत्ति को सौंपने का कोई मामला नहीं था, इसलिए ऐसी संपत्ति के दुरुपयोग का अपराध, और परिणामस्वरूप 'आपराधिक विश्वास भंग' का अपराध भी बनता हुआ नहीं कहा जा सकता।”

13. उपर्युक्त तर्क के आलोक में, आवेदकों द्वारा बिक्री समझौते का पालन न करना मात्र, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता।

14. आवेदकों को धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भी तलब किया गया है। उपर्युक्त विधिक प्रावधान शांति भंग करने के आशय से किए गए जानबूझकर अपमान के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। उक्त अपराध के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति को उकसाता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि ऐसे उकसावे से उसके द्वारा लोक शांति भंग किए जाने अथवा कोई अन्य अपराध किए जाने की संभावना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

15. वर्तमान मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित उसके कथन में सूचनाकर्ता द्वारा किसी अपमान का कोई विवरण नहीं दिया गया है। अन्यथा भी, सूचनाकर्ता द्वारा ऐसे कोई तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट हों जो सूचनाकर्ता को लोक शांति भंग करने अथवा कोई अपराध करने के लिए उकसावे का कारण बनती हों। जब इस प्रकार के आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित सूचनाकर्ता के कथन का आधार ही नहीं हैं, तब आवेदकों के विरुद्ध धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता।

16. आवेदकों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत भी तलब किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 में आपराधिक धमकी के लिए सज़ा का प्रावधान है। धमकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 के तहत आता है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“503. आपराधिक धमकी - जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को, जिसमें उस व्यक्ति की रुचि हो, कोई चोट पहुँचाने की धमकी देता है; जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति में भय पैदा करना हो, या उस व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य करवाना हो जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या उस व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य न करवाना हो जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार है और यह सब उस धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में किया जाता है तो वह 'आपराधिक धमकी' का अपराध करता है।”

17. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोप बिक्री समझौते और अग्रिम राशि के भुगतान के बावजूद बिक्री विलेख को निष्पादित न करने से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आवेदकों ने गाली-गलौज की है और जान से मारने की धमकी दी है। ये आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट प्रकृति के हैं; न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में, सूचनाकर्ता ने आवेदकों द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की प्रकृति का उल्लेख किया है।

18. यह भी ध्यान देने योग्य है कि, यद्यपि जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, तथापि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उक्त धमकी का उद्देश्य मुखबिर से कोई ऐसा कार्य करवाना था जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, अथवा उसे कोई ऐसा कार्य करने से रोकना था जिसे करने का वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। आपराधिक धमकी के आरोप प्रकृति में पूर्णतः अस्पष्ट हैं और अन्य गवाहों द्वारा समर्थित नहीं हैं।

19. वर्तमान प्रकरण में, विक्रय के अनुबंध के उल्लंघन का एक साधारण मामला, जिससे केवल दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है, को आपराधिक वाद में परिवर्तित कर दिया गया है, जो विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सूचनाकर्ता के पास विक्रय के अनुबंध के प्रवर्तन अथवा अनुबंध के उल्लंघन के लिए दीवानी उपचार उपलब्ध है। इस अवस्था में, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को अनुमति देना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. तदनुसार, उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

जनवरी 28, 2025

भास्कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।